राजस्थान सरकार

आयुक्तालय

मिड–डे मील योजना

(Mid Day Meal Scheme)

मध्याह्न भोजन योजना
Mid Day Meal Scheme

क्रमांकःएफ.4(220) प्रा.शि./एमडीएम/दिशा–निर्देश/2016/251 जयपुर, दिनांकः 30.06.2025

जिला शिक्षा अधिकारी,
(मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा,
जिला समस्त।

विषयः–अतिथि अवधारणा के अंतर्गत माताओं/महिला अभिभावकों को विद्यालय में आमंत्रित किए जाने एवं इसका अंकन राजसिम्स पोर्टल पर किये जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशित किया जाता है कि विद्यालय में विद्यार्थियों के समग्र विकास एवं पारदर्शिता बनाए रखने हेतु समुदाय की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। विशेष रूप से माताओं एवं महिला अभिभावकों की भागीदारी से न केवल छात्रों की उपस्थिति व अनुशासन में सुधार होगा, बल्कि मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता की निगरानी एवं सुधार में भी मदद मिलेगी। इसलिए राज्य में अतिथि माता अवधारणा लागू की गई है। अतः निर्देशित किया जाता है कि सभी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को यह निर्देशित किया जाए कि वे सप्ताह में प्रति दिन तीन माताओं/महिला अभिभावकों को विद्यालय में आमंत्रित करें ताकि वे :–

- विद्यार्थियों की शैक्षणिक गतिविधियों का अवलोकन कर सकें।
- मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता, स्वाद, स्वच्छता की जांच कर सकें।
- विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठकों में अपनी राय एवं सुझाव दे सकें।
- विद्यालय–समुदाय संबंध को मजबूत कर सकें।

आपके सहयोग से यह पहल न केवल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाएगी, बल्कि समुदाय का विश्वास भी प्रबल होगा। अतः आपसे अपेक्षा है कि आवश्यक निर्देश शीघ्र जारी किए जाएं।

(विश्व मोहन शर्मा),
आयुक्त

Signature valid

Digitally signed by Vishwa Mohan Sharma
Designation : Commissioner
Date: 2025.06.30 17:29:54 IST
Reason: Approved